सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(एम.पी.एल.ए.डी.)

परिचय

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 में प्रारंभ किया गया हैं । इसके अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष अपने संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सामुदायिक उपयोग के विकास कार्यो को क्रियान्वित कराये जाने हेतु 200.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष आवंटित किये जाते थे । वर्ष 2011–12 से यह आवंटन रू. 200.00 लाख से बढाकर रू. 500.00 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया हैं ।

कार्यक्षेत्र

- राज्य में 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सदस्यों के क्षेत्रों में योजना क्रियान्वित की जा रही हैं ।

वित्त पोषण

- यह शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना हैं ।

विशेषाताएं

- राज्य के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू हैं ।
- निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन पंचायती राज / स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/ राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/रेपूटेड गैर सरकारी संस्थान, जो जिला कलक्टर की निगाह में कार्य कराने में सक्षम हो, से कराया जा सकता हैं।
- इस योजनान्तर्गत आवृति व्यय हेतु राशि का उपयोग नही किया जा सकता हैं।
- जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था हैं ।
- योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव सांसद द्वारा अभिशंषित कर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाते है। तत्पश्चात इन कार्यो की कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार जांच कर कार्य करवाये जाते हैं।
- सांसदों द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ, चक्रवात , सुनामी भूकम्प , तूफान, अकाल आदि की स्थिति में अपने कोटे से 10.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो की अभिशंषा मार्गदर्शिका

में अनुमत कार्यो हेतु की जा सकती हैं । लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में तथा राज्यसभा सदस्य सम्पूर्ण राज्य में कार्य करा सकता है ।

- देश में विकराल प्राकृतिक आपदा आने एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने पर सांसद प्रभावित जिले के लिये अधिकतम 50.00 लाख रूपये के कार्यो की अभिशंषा कर सकते हैं ।
- यदि कोई निर्वाचित संसद सदस्य उक्त राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिससे वह चुना गया हैं, की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार दूसरे राज्य/संघ शासिकत क्षेत्र में करना चाहता हैं तो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतमम 10.00 लाख रूप्ये शिक्षा एवं संस्कृति से सम्बन्धित कार्य जो मार्गदर्शिका में प्रतिबन्धित नहीं हैं का चयन कर सकता हैं ।
- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिये कमशः कम से कम 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आवंटित राशि के कार्यो की अभिशंषा करने का प्रावधान हैं ।
- योजनान्तर्गत निर्मित करायी जाने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था संबंधित लाभार्थी संस्था की होगी ।

योजनान्तर्गत प्रतिबन्धित कार्यो की सूची निम्नानुसार हैंः–

1. केन्द्र, राज्य सरकार, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों / संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमो से संबंद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन ।
2. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबंद्ध अन्य कार्य ।
3. ऐसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/ इकाई शामिल हो ।
4. किसी भी प्रकार के रख–रखाव वाले कार्य
5. भारतीय पुरात्त्व सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध विशेष्ज्ञ अनुमति वाली संपत्ति तथा पुरातात्विक स्मारक तथा भवनों को छोडकर सभी नवीनीकरण तथा मरम्मत कार्य ।
6. किसी भी केन्द्र तथा राज्य /संघ शासिकत क्षेत्र के राहत कोष में अंशदान, अनुदान तथा ऋण ।
7. किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई संपत्ति।
8. केन्द्र, राज्य, संघ शासित क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबंद्ध वाहन, अर्थ मूवर तथा अस्पताल उपकरण, शैक्षणिक, खेल, पेयजल तथा सफाई उद्देश्यों को छोडकर सभी चल वस्तुओं की खरीद । (यह कार्य, जिसके लिए ऐसी वस्तुओं को प्रस्ताव हो, पूंजी लागत के 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगा)।